Tender Grabbing in Super Bazar

786. SHRI DILIP SINGH JUDEV: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether complaints have been received by Government regarding grabbing of tenders by anti-sociai demerits and heavy weighted persons in Super Bazar by
Ihe vital assistance of purchase department and Manager (Personnel);

(b) if so, the details thereof;

(c) the action taken thereon;

(d) whether it is a fact that the work and purchases valuing several crores of rupees have been awarded on work and sample order basis;

(e) if so, the details of the works so awarded;

(f) the reasons for not giving con-Iracts on tenders; and

(g) the action taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF CIVIL SUPP-LIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH): (a) No, Sir.

(b) and (c) Does not arise.

(d) No, Sir.

(e) to (g) Does not arise.

Group Conn-acts by Super Badar

787. SHRI ANANTRAY - DEVSHAN- KER DAVE: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Super Bazar has been spending thousands of rupees on gronp contracts given to contractors when the same works could be performed at much less cost by the staff;

(b) whether such contracts are a major source of illicit earnings for Super Bazar officials; and

(c) if so, what measures Government propose to take to put an end to such corrupt practices and wastage of public money?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH):

(a) and ,(b) No. Sir.

(c) Does not arise.

देवताओं इत्यादि के पोस्टरों/लेबलों तथा रेपरों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध

788. श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महापुरुषों एवं देवताओं और धार्मिक महत्व के प्रतीक चिह्नों एवं चित्रों के व्यापारिक वस्तुओं के विक्रय एवं प्रचार हेतु पोस्टर, लेबल, रेपर एवं विज्ञापन हेतु प्रयोग में लाए जाने पर लोगों की श्रद्धा एवं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की स्थिति को रोकने के लिए सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाने हेतु क्या-क्या कार्रवाई की जा रही है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस स्थिति की ओर आकर्षित किया गया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का ध्यान दैनिक, भास्कर (बिलासपुर) दिनांक 13 जून, 1994 में प्रकाशित एक जूता कम्पनी के विज्ञापन के रूप में महात्मा गांधी के चित्र के उपयोग के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) संप्रतीक तथा नाम

(अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 के उपबंधों के तहत किसी व्यापार, कारबार, आजीविका या व्यवसाय के प्रयोजन से अथवा किसी पेटेंट के नाम में अथवा किसी व्यापार चिन्ह या डिजाइन में केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत ऐसे अधिकारी अथवा सरकार की पूर्व अनुमति के बिना, अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी नाम या संप्रतीक के प्रयोग अथवा निरन्तर प्रयोग की अनुमति नहीं है । अनुसूची में निषिद्ध वस्तुओं, नामों आदि की श्रेणी भी शामिल की गई है जो कि विवरण में दी गई है
(नीचे देखिए)

(ग) इसकी ओर राज्य सरकार द्वारा या किसी अन्य अधिकरण द्वारा केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं किया गया है ।

विवरण

अनुसूची

1. संयुक्त राष्ट्र संगठन का नाम, संप्रतीक या अधिकारिक मुहर ।

2. विश्व स्वास्थ्य संगठन का नाम, संप्रतीक अथवा आधिकारिक मुहर ।

3. भारतीय राष्ट्रीय ध्वज ।

4. भारत सरकार अथवा किसी राज्य का नाम, संप्रतीक अथवा आधिकारिक मुहर या कोई अन्य अधिकार चिन्ह अथवा ऐसी किसी सरकार या ऐसी किसी सरकार के विभाग द्वारा प्रयुक्त शस्त्र के ऊपर का कोट ।

5. सेंट जान एम्बुलेंस एसोसिएशन (इण्डिया) तथा सेंट जांन एम्बुलैन्स ब्रिगेड (इण्डिया) का संप्रतीक, जिसमें चार मुख्य कोणों में आभूषित आठ नोक वाला एक श्वेत क्रास का आकार है तथा जिसके वृत्तपाद पर एकान्तर पर दक्षिणोन्मुख सिंह तथा एक दक्षिणोन्मुख अरण्याश्व है, चाहे उक्त आकार संकेन्द्रिस वृत्तों अथवा अन्य सजावटों या अक्षरांकनों से आवृत्त हो या न हो, शामिल है ।

6. राष्ट्रपति, राज्यपाल (सदरे रियासत) अथवा भारतीय गणतन्त्र या भारतीय संघ का नाम, संप्रतीक या आधिकारिक मुहर ।

7. कोई नाम जिससे निम्नांकित संकेत मिलता हो या संकेत परिकलित किया जा सकता हो :—

(1) भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार का संरक्षण, अथवा

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के तहत सरकार द्वारा गठित किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम अथवा निकाय से संबंध हो ।

8. संयुक्त राष्ट्र शैक्षिणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का नाम, संप्रतीक या आधिकारिक मुहर ।

9. राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भवन, राजभवन का नाम अथवा उनका चित्रमय निरूपण ।

9. (क) महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू, श्रीमती इन्दिरा गांधी, छत्रपति शिवाजी या भारत के प्रधान मंत्री का नाम या चित्रमय निरूपण अथवा "गांधी," "नेहरू" या "शिवाजी" शब्द केवल कलैण्डरों में उनके चित्रमय प्रयोग के सिवाय जहां केवल कलैण्डरों के विनिर्माताओं व मुद्रकों का नाम दिया जाता है और कलैण्डरों का प्रयोग वस्तुओं के विज्ञापन के लिए नहीं किया जाता है । (अधिसूचना संख्या का० आ० 1503, तारीख 8 अप्रैल, 1970 द्वारा निविष्ट) ।

10. सरकार द्वारा समय-समय पर स्थापित पदक, बिल्ले या अलंकरण अथवा ऐसे पदकों, बिल्लों या अलंकरणों के लघु रूप या प्रतिकृति (या ऐसे पदकों, बिल्लों या अलंकरणों के नाम अथवा उनके लघु रूप या प्रतिकृति) ।

11. अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन का नाम, संप्रतीक या आधिकारिक मुहर।

12. "इन्टरपोल" शब्द जो अन्तर्राष्ट्रीय अपराधियों हेतु पुलिस संगठन का एक अभिन्न अंग है।

13. विश्व मौसम-विज्ञान संगठन का नाम, संप्रतीक अथवा आधिकारिक मुहर।

14. ट्यबरकुलोसिस एसोसिएशन आफ इण्डिया का नाम व संप्रतीक।

15. अन्तर्राष्ट्रीय परमाण ऊर्जा एजेन्सी का नाम, संप्रतीक व आधिकारिक मुहर।

16. "अशोक चक्र" या "धर्म चक्र" का नाम अथवा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या ऐसी सरकार के किसी विभाग की आधिकारिक मुहर या संप्रतीक में प्रयुक्त अशोक चक्र या चित्रमय निरूपण।

17. संसद अथसा किसी राज्य की विधान सभा अथवा उच्चतम न्यायालय अथवा किसी राज्य के उच्च न्यायालय अथवा केन्द्रीय सचिवालय, अथवा किसी राज्य सरकार के सचिवालय अथवा किसी अन्य सरकारी कार्यालय का नाम अथवा उपर्युक्त किन्हीं भी संस्थाओं द्वारा अधिकृत किसी भवन का चित्रमय निरूपण।

18. रामकृष्ण मठ और मिशन का नाम और संप्रतीक, जिसमें पानी पर तैरता हुआ हंस, जिसके समान की ओर कमल का फूल है और पृष्ठभूमि में निकलता हुआ सूर्य है, जोकि सम्पूर्णत: वन्य सर्प द्वारा घिरा हुआ है तथा "तन्नो हरा प्रचोदयात" शब्द निचले भाग में अध्यारोपित है। (दिनांक 4 अगस्त, 1973 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2356 द्वारा निविष्ट)।

19. श्री शारदा मठ और रामकृष्ण शारदा मिशन, जिसमें पानी पर तैरता हुआ एक हंस (दाहिनी ओर उन्मुख) जिसमें समाने की ओर कमल का एक फूल और पृष्ठभूमि में उभरता हुआ सूर्य है तथा जो सम्पूर्णत: वन्य सर्प (जिसके दाहिनी ओर निचले हिस्से की ओर तन्नोहरा प्रचोदयात शब्द अध्यारोपित हैं।)

(दिनांक 11 सितम्बर, 1973 की अधिसूचना सं० का०आ० द्वारा निविष्ट)।

20. "भारत स्काउट्स और गाइड्स" का नाम सम्प्रतीक सहित।

(दिनाक 10 जुलाई, 1974 की अधिसूचना सं० का० आ० द्वारा निविष्ट)।

21. अन्तराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति का सम्प्रतीक सहित नाम जोकि पांच आपस में गुंथे हुए छल्ले हैं।

(18 अगस्त, 1978 को अधिसूचना सं० का० आ० 2457 द्वारा निविष्ट)

22. राष्ट्रीय युवा संप्रतीक का नाम और संप्रतीक जो कि काले और सफेद रंग में हैं और जिसमें एक घेरे के अन्दर सामने की ओर देखते हुए युवाओं पुरुष तथा महिला—के पार्श्व चित्र हैं। दोनों चेहरे दाईं ओर मुड़े हुए हैं और पुरुष के चेहरे का पार्श्व चित्र काला है तथा स्त्री के चेहरे के पीछे की ओर स्थित है स्त्री के पार्श्व चित्र का पीछे का हिस्सा विपरीत दिशा में उड़ते हुए एक कपोत जिसका पिछला भाग घेरे से बाहर है और जो पत्ती के साथ एक टहनी लिए हुए है, की पूंछ और पंख बनाता है। कपोत का पार्श्व चित्र सफेद रंग में है और महिला के पार्श्व चित्र का बकाया स्थान क्षैतिज काली रेखाओं से ढका हुआ है। पुरुष चेहरे के काले पार्श्व चित्र तथा घेरे के बीच का स्थान भी काली क्षैतिज रेखाओं से ढका हुआ है। कपोत के पार्श्व चित्र तथा कपोत के बाईं ओर के घेरे के बीच स्थान भी काला है। पत्ती और टहनी काली है। कपोत की एक आंख एक बिन्दु की तरह दिखाई गई है।

(23 जून, 1986 की अधिसूचना संख्या का०आ० 373 (अ) द्वारा निविष्ट)

Functioning of Super Babar Kendriya Bhandtr

789. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) the loss incurred by the Super Bazar in 1991-92, 1992-93 and 1993-94 together with the accumulated losses;

(b) whether it is a fact that Kendriya Bhandar have made profits during the above period;

(c) if so, the details thereof;

(d) whether Super Bazar have taken any measures to cut expenditure and increase revenues and if so, what are the details thereof; and

(e) what measures Government have taken to introduce healthy competition between Super Bazar and Kendriya Bhandar to. optimise revenue and consumer services?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES. CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH): (a) Super Bazar has not incurred any loss during the years 1991-92 to 1993-94 and has not accumulated losses.

(b) Yes, Sir.

(c) Year-wise details of profits earned by Kendriya Bhandar are a_s under:

Year	Profit earned (Rs. in lakhs)
1990-91 . . .	72.01
1991-92 . . .	113.41
1992-93 . . .	195.03
1993-94 . . .	248.97

(d) Super Bazar has reported that various steps have been taken for cutting down the expenditure and increasing revenues. The details are given below:-

(i) A ban has been imposed on fresh recruitment (except in technical categories). Whenever any new[1] branches are opened, officials are deployed out of the existing strength.

(ii) Reviews of the functioning of vtrious outlets were undertaken and a few unviable branches were closed down. Similarly, unviable mobile vans were also discontinued. Besides review of the working of various Regiontl Distribution Centres, Departments & Branches is undertaken periodically with a view to increasing the revenues. Constant watch is also kent on day to day expenses of the Store.

(e) Super Bazar and Kendriy Bhandar are two different organizations working under two different Managements. Super Bazar is working under the aegis of Ministry of Civil Supplies, CA & PD whereas Kendriya Bhandar is working under the aegis of Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions. However, both the organizations have reported that they are alwtys endeavouring to improve the services to the customers.

Indents received from Government Offices by Kendriya Bhandar, Super Baztr etc.

790. SHRI O. P. KOHLI: Will the. Minister of CIVIL SUPPLIES. CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Kendriya Bhandar Super Bazar NCCF have been receiving indents, of the items by trade names from Government offices in Delhi;

(b) if so, the names of -Government offices and the names of the items idented specifically by trade names during 1994 and uptil now;